न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

ओम प्रकाश बनाम बीरम वगैरा

प्रकरण संख्या :-99/14

1. ओम प्रकाश पिता मथुरा लाल जाति ब्राह्मण निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना

.....प्रार्थी

1.वीरम पिता चंपालाल जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
2. हेमराज पिता चंपालाल जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
3. घनश्याम पिता चंपालाल जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
4. दुर्गा लाल पिता चंपालाल जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
5.केसरबाई पत्नी स्व0 चंपालाल जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
6. बापूलाल पिता लक्ष्मण जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
7.फूलचंद पिता लक्ष्मण जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
8.जगदीश नाबालिग पिता लक्ष्मण जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
9.नाराणी बाई पत्नी बापूलाल जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
10.सुशीला बाई पत्नी फूलचंद जाति नाई निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
11. मंगली बाई पत्नी करण सिंह जाति लोधा निवासी शोरती तहसील मनोहर थाना
12. तहसीलदार तहसील मनोहर थाना

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 17.04.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं- ग्राम शोरती पटवार हलका शोरती तहसील मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

जिला झालावाड़ के माल की नई खतौनी संख्या 241 पुरानी 223 की खसरा नंबर 854 की तीन बीघा तीन विस्वा आरजी प्रार्थी के शामिलात खाते में दर्ज है।

ग्राम शोरती पटवार हलका शोरती तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के माल की नई खतौनी संख्या 138 पुरानी 133 की खसरा नंबर क्रमशः 858 की एक बीघा 7 विस्वा 859 की एक बीघा दो विस्वा, 860 की दो विस्वा, 861 की दो विस्वा, 862 की 7 विस्वा, 863 की एक बीघा 13 विस्वा, 864 की 2 बीघा 7 विस्वा, 865 की दो बीघा आठ विस्वा, 867 की तीन विस्वा, 868 की एक बीघा 15 विस्वा, कल 10 किता की 14 बीघा तीन विस्वा आराजी प्रार्थी के शामिल खाते में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आरजी में प्रार्थी के काश्त करने के लिए प्रार्थना पत्र की मद संख्या दो में वर्णित आरजी के खसरा नंबर 858, 862,863,864 में से होकर प्रार्थी व उसके बुजुर्ग अपने खाते की आराजी में हमेशा से निकलते चले आ रहे हैं। प्रार्थी को अपनी खाते की आराजी पर काश्त क़े लिये जाने एवं कृषि यन्त्र लें जाने क़े लिये इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। उक्त आरजी अप्रार्थी एक लगायात चार के कब्जे काश्त में है।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उसे अप्रार्थी की उक्त आरजी में से आने-जाने के लिए जो पहले से ही 5 फीट का रास्ता था,वह रास्ता दिलवाया जाए।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबगी की गई तथा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी 1 लगायत 5 ने अपनें जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आरजी को प्रार्थी आम रास्ता पाड़लिया कि यहां से खसरा नंबर 904,882, 879,878,871,864 865 की मेड पूर्वी तरफ से होकर आम रास्ता लगभग सात आठ फीट चौड़ा है,जिसका उपयोग,उपभोग प्रार्थी सदैव अपने बाप दादाओ के जमाने से निरंतर करते आ रहे हैं तथा उक्त खसरा नंबरान के रास्ते का उपयोग व उपभोग अन्य खातेदारों जिनके खसरा नंबरान 852,853 873, 874,875, 876, 881,882 भी रास्ते में उपभोग करते चले आ रहे हैं प्रार्थी अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी 858,862,863,864 से जबरन बलपूर्वक निकालना चाहता है जिसका कोई कानूनी अधिकार उसे नहीं है। अप्रार्थीगण ने अपनी स्वयं की आराजी खसरा नंबर 864 की पूर्वी मेड की तरफ से होकर प्रार्थी को रास्ता दे रखा है फिर भी प्रार्थी नाजायज परेशान करने पर आमादा है हल्का पटवारी ग्राम पंचायत सोरती की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.07.2014 की पैमाइश में पटवारी द्वारा अप्रार्थी की खसरा नंबर 864 की ऊपरी मेड पर होकर रास्ता दे रखा है। प्रार्थी खसरा नंबर 864 की पूर्वी दिशा की मेड़ पर होकर निकलता है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी अपना दूसरा वैकल्पिक मार्ग 847,848, 849 की मेड पर होते हुए कार्य करता चला रहा है इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र झूठा एवं परेशान करने की गरज से पेश किया है अतः इसे ख़ारिज फरमाया जाए।

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी के द्वारा अपनी भूमि ग्राम शोरती के खसरा नंबर 854 पर पहुंचने हेतु अप्रार्थी के खसरा नंबर 858,863, 864 पर बनी मेड से गुजरता चला आ रहा है वर्तमान में प्रार्थी गणों द्वारा निकालने हेतु मना कर दिया है तथा मेड को तोड़ दिया है। प्रार्थी को अपनी आरजी पर जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है अतः प्रार्थी को अप्रार्थी गण की आरजी से गुजरने हेतु रास्ता दिया जाना उचित है

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्य,तहसीलदार जाँच-रिपोर्ट का गौरपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली, जवाब, दस्तावेजी सामग्री एवं जांच-रिपोर्ट के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष निम्न बिंदु विचारणीय हैं—

- क्या प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने के लिए मार्ग की आवश्यकता वास्तविक एवं अत्यावश्यक है।
- क्या प्रार्थी के लिए अन्य उपयुक्त एवं व्यवहारिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।
- यदि नहीं, तो क्या प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि में से लघुत्तम/निकटतम मार्ग दिए जाने का अधिकार है।

धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उद्देश्य ऐसे अभिधारी/खातेदार को राहत प्रदान करना है, जिसकी जोत तक पहुँचने, उपयोग करने या कृषि प्रयोजन के लिए आवश्यक निकास उपलब्ध न हो, और पारस्परिक सहमति से समाधान न होने की स्थिति में न्यायालय संक्षिप्त जांच उपरांत नया मार्ग, विद्यमान मार्ग का विस्तार, अथवा निकटतम/लघुत्तम मार्ग प्रदान कर सके। प्रावधान का मूल आधार यह है कि आवश्यकता मात्र सुविधाजनक न होकर आत्यन्तिक/वास्तविक आवश्यक हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो।

प्रथम बिंदु पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 854 तक पहुँच का प्रश्न केवल सुविधा का नहीं, बल्कि खेती-किसानी, आवागमन तथा कृषि यंत्रों के प्रवेश का है। प्रार्थना पत्र में इसी आशय का स्पष्ट कथन है कि प्रार्थी एवं उसके बुजुर्ग पूर्व से उक्त भूमि तक आने-जाने के लिए विवादित निकास का उपयोग करते रहे हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि प्रार्थी 858, 863 एवं 864 की मेड से गुजरता चला आ रहा है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आवश्यकता वास्तविक, कृषि प्रयोजन से संबंधित तथा विधि की दृष्टि में अत्यावश्यक प्रकृति की है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

द्वितीय बिंदु, अर्थात वैकल्पिक मार्ग के अस्तित्व, पर अप्रार्थियों ने सामान्य रूप से अन्य दिशा से रास्ता होने का कथन किया है। किन्तु अप्रार्थियों का यह कथन अभिलेखीय रूप से उतना पुष्ट नहीं है जितना कि तहसीलदार की जांच-रिपोर्ट, जिसमें स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि प्रार्थी को अपनी आराजी पर जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। राजस्व प्रकृति के ऐसे विवादों में स्थानीय निरीक्षण एवं तहसील स्तरीय जांच-रिपोर्ट का विशेष महत्व होता है, विशेषतः जब वह स्थल की वास्तविक स्थिति, प्रचलित उपयोग और निकास के अवरोध को दर्शाती हो। फलतः न्यायालय अप्रार्थियों द्वारा कथित वैकल्पिक मार्ग को पर्याप्त, सुरक्षित और विधिसम्मत विकल्प के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ है।

तृतीय बिंदु पर, जब यह स्थापित हो गया कि प्रार्थी की आवश्यकता अत्यावश्यक है और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, तब धारा 251A के अंतर्गत न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यथासंभव लघुत्तम/निकटतम मार्ग प्रदान करे, जिससे एक ओर प्रार्थी की कृषि जोत तक पहुँच सुनिश्चित हो और दूसरी ओर अप्रार्थियों की भूमि पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पत्रावली के अनुसार प्रार्थी ने पूर्व से प्रचलित लगभग 5 फीट चौड़ाई के मार्ग की मांग की है, तथा तहसीलदार की रिपोर्ट में भी खसरा नंबर 858, 863 एवं 864 की मेड से प्रार्थी के गुजरने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रचलित एवं न्यूनतम आवश्यक चौड़ाई के मार्ग को स्वीकार करना न्यायोचित, संतुलित और विधि सम्मत प्रतीत होता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 251A/251क का तात्पर्य किसी अन्य खातेदार की भूमि पर व्यापक अधिकार प्रदान करना नहीं है, बल्कि केवल सीमित उद्देश्य से आवागमन/निकास का विधिसम्मत अधिकार देना है। अतः प्रार्थी को केवल अपनी खातेदारी भूमि तक आने-जाने एवं कृषि प्रयोजन हेतु आवश्यक उपयोग का अधिकार होगा; इससे उसे अप्रार्थी की भूमि पर कोई अन्य स्वत्वाधिकार या विस्तृत दावेदारी प्राप्त नहीं होगी।

उपर्युक्त समस्त विचार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, उभय पक्ष की दलीलों तथा तहसीलदार की जांच-रिपोर्ट के सम्यक परीक्षण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी ने धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के आवश्यक तत्व सिद्ध कर दिए हैं, अर्थात—

उसकी आवश्यकता अत्यावश्यक है, केवल सुविधाजनक नहीं;

उसकी जोत तक पहुँचने हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है;

विवादित भूमि में से निकटतम/लघुत्तम मार्ग प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

::आदेश::

अतः प्रार्थी ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को उसकी भूमि खसरा नंबर 854, ग्राम शोरती तक आवागमन, कृषि कार्य एवं कृषि यंत्र ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि के खसरा नंबर 858, में से 5x235 फ़ीट 863 में से 5x238 फ़ीट एवं 864 में से 5 x99 फ़ीट का लघुत्तम/निकटतम मार्ग प्रदान किया जाता है। वर्णित रास्ते की वर्तमान डीएलसी की दुगने राशि का मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा किया जाए। उक्त राशि को प्रार्थी द्वारा जमाराज करवाया जाकर अप्रार्थी को अदा करवाई जाए। नक्शा लट्ठा में तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन किया जाए यदि अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को लेने से मना किया जाता है तो उक्त राशि बतौर अमानत नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाए। दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

17.4.26

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उपखण्ड अधिकारी

मनोहरथाना